

Serial No. 5688 Circle:-:Danapur

Book No. :- 1 Deed No. 5185

Deed No. 5185

Serial No. 5688



Govt. of Bihar
District Registry Office, Patna
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 09/05/2016 by Namita Gupta.
A stamp duty of Rs. 505720/- and other fees of Rs. 25625/- has been paid in it.
The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the
executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as deed no. 5185 in Book No. 1, Volume No. 123 on pages from 91 to
114 and has been preserved in total 24 pages in C. D. No. 18 / Year 2016

Date: 09/05/2016

Token No: 5283/2016

Signature with Date
(Prashant Kumar)
Registering Officer, Patna

SCANNED BY

भूमि विकास अनुबन्ध

आज दिनांक 25 अप्रैल माह 2016 वर्ष को प्रस्तुत भूमि विकास अनुबन्ध
निष्पादित किया गया।

भूधारिणी नमिता गुप्ता जौजे स्व0 संजय कुमार साकिन 9, पो0सी0
बोस रोड, दानापुर, थाना-दानापुर, जिला-पटना।

-भूधारी, प्रथम पक्ष (यहाँ भूधारी से तात्पर्य है कि भूधारी के
वारिसान, उनके अधिकृत निष्पादक हस्ताक्षरकर्ता, प्रशासकगण एवं
विधिक अभिकर्तागण सम्मिलित है।)

एवम्

मकान डेभपलर्स (ई0) प्रा0 लि0 द्वारा प्रबन्ध निदेश प्रभात कुमार चौधरी
वल्दे स्व0 आर. एस. चौधरी रजिस्टर्ड कार्यालय प्रथम तल, पटना, सुपर
मार्केट, फ्रेंजर रोड, पटना। थाना-कोतवाली, जिला-पटना-विकासकर्ता,
द्वितीय पक्ष (जिसके अन्तर्गत इनके उतराधिकारी वारिसान, अधिकृत
अभिकर्ता, प्रशासक, निष्पादक एवं सभी नामित प्रतिनिधि सम्मिलित है।

For Makaan Developers (I) Pvt. Ltd.

Managing Director

For, Makaan Developers (I) Pvt. Ltd.

Managing Director 25/4/2016

Serial No. 5688 Circle:-Danapur

Book No. :- 1 Deed No. 5185

Deed No. 5185

Serial No. 5688



Govt. of Bihar
District Registry Office, Patna
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 09/05/2016 by Namita Gupta
A stamp duty of Rs. 505720/- and other fees of Rs. 25625/- has been paid in it.

The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the
executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as deed no. 5185 in Book No. 1, Volume No. 123 on pages from 91 to
114 and has been preserved in total 24 pages in C.D. No. 18 / Year, 2016

Date: 09/05/2016

Token No. 5283/2016

Signature with Date
(Prashant Kumar)
Registering Officer, Patna

SCANNED BY

भूमि विकास अनुबन्ध

आज दिनांक 25 अप्रैल माह 2016 वर्ष को प्रस्तुत भूमि विकास अनुबन्ध
निष्पादित किया गया।

भूधारिणी नमिता गुप्ता जौजे स्व0 संजय कुमार साकिन 9, पी0सी0
बोस रोड, दानापुर, थाना-दानापुर, जिला-पटना।

-भूधारी, प्रथम पक्ष (यहाँ भूधारी से तात्पर्य है कि भूधारी के
वारिसान, उनके अधिकृत निष्पादक हस्ताक्षरकर्ता, प्रशासकगण एवं
विधिक अभिकर्तागण सम्मिलित है।)

एवम्

मकान डेभपलर्स (ई०) प्रा० लि० द्वारा प्रबन्ध निदेश प्रभात कुमार चौधरी
वल्द स्व० आर. एस. चौधरी-रजिस्टर्ड कार्यालय प्रथम तल, पटना, सुपर

सार्कट फ्रेजर रोड, पटना। थाना-कोतवाली, जिला-पटना-विकासकर्ता,

द्वितीय पक्ष (जिसके अन्तर्गत इनके उतराधिकारी वारिसान, अधिकृत
अभिकर्ता, प्रशासक, निष्पादक एवं सभी नामित प्रतिनिधि सम्मिलित है।

For, Makaan Developers (I) Pvt. Ltd.

Managing Director 25/4/2016

Namita Gupta
25/4/2016

रजिस्ट्रार जीवित
2016

For Makaan Dev...
Managing Director



1. यह कि भूमि जो भूधारी प्रथम पक्ष द्वारा विकसित करने हेतु उपलब्ध कराई गई है, यद्यपि इस विकास अनुबन्ध के परिशिष्ट एक में पूर्णरूपेण वर्णित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 9.5 कट्ठा है, जिसका तौजी नं०-5854, थाना नं०-17, खाता नं०-167 एवं 129, खसरा नं०-361 एवं 365 का भाग, जिसका चौहद्दी निम्न प्रकार है।

उत्तर-सरकारी सड़क

दक्षिण-12 फीट चौड़ा रोड

पूरुब-राधेकृष्ण प्रसाद एवं श्री राजेश सिंह का मकान

पश्चिम-12 फीट चौड़ा रोड

2. यह कि भूधारी प्रथम पक्ष उपरोक्त भूमि के पूर्ण स्वामी है जो उक्त भूमि के स्वत्व, अधिकार, हित और दखल कब्जे में है तथा उनका नाम सभी सरकारी व गैरसरकारी दस्तावेजों में दर्ज है।
3. यह कि उपरोक्त भूधारी प्रथम पक्ष ने स्वघोषणा किया है कि परिशिष्ट एक में वर्णित उनके पूर्ण स्वामित्व, दखल कब्जे व शांतिपूर्ण उपभोग में है जिसे उन्होंने वजरिये केवाला नं०-4804 दिनांक 16.09.1947 से पूर्व भूधारी स्व० सैयद मकीर अल्लाउद्दीन वल्द सैयाद मीर सईद उद्दीन हाल निवासी-फोर्स डिपार्टमेन्ट थाना-ब्रौकीपुर जिला-पटना से खरीद किया है और खरीद के समय से ही दखल कब्जा प्राप्त कर अपना नाम सरकारी सिर्देशते में दर्ज करवा चुका है तथा भूमि का नियमित मालगुजारी विहार सरकार को भुगतान करते चला आ रहा है। जिसका अग्रतन प्रमाण स्वरूप चालू वित्तीय वर्ष का भुगतान रसीद भूधारी के पास उपलब्ध है।

यद्यपि भूधारी प्रथम पक्ष ने उपरोक्त घोषणाएँ पूर्ण निष्ठा से किया है फिर भी तदनुसार वह वचन देता है कि यदि उपरोक्त घोषणाओं के विपरीत भूमि किसी भी प्रकार से जुटिपूर्ण पाया जाता है तो वह विकासकर्ता वित्तीयपक्ष के प्रति कारित क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी होगा।

यदि कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में उपरोक्त भूधारी प्रथम पक्ष प्रस्तुत विकास अनुबन्ध निष्पादित करने

25/4/16

25/04/16

For Manager
Kishan Singh



हेतु सक्षम व्यक्ति के रूप में विकास अनुबन्ध निष्पादित करता है तथा तदनुसार परिशिष्ट एक में वर्णित भूभाग का पूर्ण दखल कब्जा द्वितीय पक्ष (विकास कर्ता) को विकास अनुबन्ध के अनुरूप विकसित करने हेतु समर्पित करता है जिसपर विकासकर्ता द्वितीय पक्ष आवासीय/व्यवसायिक बहुमंजलीय इमारत का निर्माण करेगा जो सभी भौतिक सुख सुविधाओं से सम्पन्न होगा मसलन् सभी फ्लैटों के लिए पृथक गाड़ी पड़ाव तथा सार्वजनिक उपभोग हेतु खुला परिसर उपलब्ध होगा। निर्मित बहुमंजलीय इमारत में दोनों पक्षकारों के परस्पर हितों का बंटवारा नक्शा स्वीकृति के तुरंत बाद विकास कर्ता जमीन मालिक की सहमति से आपस में करेंगे तथा उक्त आशय का कागजात बनाने के उपरान्त ही विकास कर्ता अपने हिस्से को विक्री या विक्री हेतु एकरारनामा कर सकेंगे।

5. यह कि भूधारी प्रथम पक्ष की वर्णित भूमि पर बहुमंजलीय व्यवसायिक/आवासीय इमारत निर्माण की स्वइच्छा की जानकारी पाकर ही विकासकर्ता द्वितीय पक्ष उससे सम्पर्क स्थापित किया तथा आपसी विचार विमर्श कर बहुमंजलीय आवासीय/व्यवसायिक इमारत निर्माण हेतु पहल किया। तदनुसार उभय पक्ष विचार-विमर्श हेतु बैठक किया तथा विकासकर्ता द्वितीय पक्ष भूधारी प्रथम पक्ष की उपरोक्त घोषणाओं से संतुष्ट होकर तथा भूमि का भौतिक सत्यापन कर भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्मित भवन में आधा हिस्सा भूधारी को जमीन के एवज में दिये जाने का प्रस्ताव रखा। यानि 50 प्रतिशत भूधारी का तथा 50 प्रतिशत हिस्सा विकासकर्ता का होगा।

तत्पश्चात् भूधारी प्रथम पक्ष पुनः स्वतः उपस्थित होकर निम्नलिखित घोषणाएँ करता है :-

- (क) यह कि परिशिष्ट एक में वर्णित भूमि भूधारी प्रथम पक्ष के खास दखल कब्जा, पूर्ण स्वामित्व, हित एवं शक्तिपूर्वक उपभोग में है जो पूर्ण रूप से फाक माफ है। उक्त भूमि सभी प्रकार के अधिभार से मुक्त है जिसे

Namts Corp
25/4/16

25/04/2016
Managing Director

For Makal Devpur

[Signature]
Managing Director



वह द्वितीय पक्ष (विकासकर्ता) से विकास कराने के लिए हर तरह से सक्षम है।

- (ख) यह कि भूधारी प्रथम पक्ष परिशिष्ट एक में वर्णित भूमि दिनांक 22 फरवरी 2012 को श्री अविनाश इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०-लि० को विकास एकरारनामा किया गया जिसका डीड नं० 1520 है। इस एकरारनामा का कैसिलेशन दिनांक 07/05/2016 को कर दिया गया है जिसका डीड नं० 5001 है। उक्त भूमि पर किसी सरकारी और गैर सरकारी या वित्तीयसंस्थान से कभी कोई कर्ज ही लिया है, मसलन भूमि का स्वत्व, दस्तावेज या दखल कब्जा कहीं भी अधिग्रहित नहीं किया है।
- (ग) यह कि भूधारी प्रथम पक्ष उक्त वर्णित भूमि या उसके किसी अंश के सम्बन्धित किसी प्रकार का सरकारी अधिग्रहण की सूचना लिखित या मौखिक प्राप्त नहीं किया है।
- (घ) यह कि भूधारी प्रथम पक्ष पूर्व में कभी भी उक्त भूमि को किसी के पक्ष में बेचने अथवा भौतिक दखल कब्जा सौंपने हेतु किसी प्रकार का अनुबन्ध निष्पादित नहीं किया है।
- (ङ) यह कि भूधारी प्रथम पक्ष के अलावे इनके वारिसान या उनके नामिनी भविष्य में सभी प्रकार के भूमि का स्वामित्व भागीदारी अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति उत्तरदायी होंगे। विधिक भूधारी के अलावे अन्य कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से पूर्णरूप से या आंशिक रूप से उक्त सम्पत्ति से हिस्सेदारी या हक प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे।
- (च) यह कि भूधारी पूर्व में उक्त भूमि या उसके किसी भाग को विक्री हेतु या विकास हेतु कभी किसी के साथ कोई अनुबन्ध निष्पादित नहीं किया है और न ही उक्त भूमि या उसके किसी अनुभाग के वनस्पति किसी के साथ कोई अनुबन्ध या करार ही किया है।

Name 6-16
25/4/16

25/04/2016

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

अब भूधारी प्रथम पक्ष एवं विकास कर्ता द्वितीय पक्ष साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित बिन्दुओं पर सहमति प्रदान करते हैं:-

1. यह कि भूधारी प्रथम पक्ष विधिवत विकास कर्ता द्वितीय पक्ष को अपना भूमि विकास कर्ता नियुक्त करता है। भूमि विकास हेतु वह अखण्ड अनुमति प्रदान करता है जिसे विकास कर्ता द्वितीय पक्ष सहर्ष स्वीकार करता है तथा परिशिष्ट एक में वर्णित भूमि का विकास प्रस्तुत अनुबंध में उल्लेखित नियम वां शर्तों के अनुकूल करने का दायित्व स्वीकार करता है।
2. यह कि परिशिष्ट एक में वर्णित भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का भौतिक दखल कब्जा नक्सा पास होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अन्दर भूधारी प्रथम पक्ष विकास कर्ता द्वितीय पक्ष को सौंप देगा। तत्पश्चात् विकास कर्ता अपने खर्च पर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित नक्शों के अनुरूप बहुमंजलीय इमारत का निर्माण कराएगा। निष्पादन कर्ता इस अनुबंध निष्पादन के एक महिना के अन्दर नक्सा बनवाकर पास कराने हेतु जमा कर देगा तदनुसार इमारत का निर्माण कराया जाएगा।
3. यह कि बहुमंजलीय इमारत निर्माण के क्रम में घटित किसी भी घटना या दुर्घटना की सारी जवाबदेही विकासकर्ता द्वितीय पक्ष की होगी तथा इस बाबत वह सक्षम न्यायालय या प्राधिकार में वांछित विधिक कार्रवाई के प्रति उत्तरदायी होगा। भूधारी प्रथम पक्ष किसी भी तरह से निर्माण कार्य के त्रुटियों के प्रति जवाबदेही नहीं होगा। यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष सम्पूर्ण बहुमंजलीय इमारत का निर्माण अपने खर्च पर करायेगा तथा उक्त खर्च में नाला-निर्माण, जल विकास, फिटिंग, अग्नि शमन उपकरण, विद्युत उपकरण व संचरण फिटिंग, जल आपूर्ति सम्पर्क, जेनेरेटर, इन्टरकॉम इत्यादि भी सम्मिलित होगा। साथ-साथ इमारत अंतिम रूप से पूर्ण निर्मित सभी सुविधाएँ युक्त भूधारी प्रथम पक्ष विकासपूर्ण जो जाने की विधिवत सूचना प्रदान करेगा।

Namto G.P.G
25/4/16

25/04/2016

5. यह कि प्रस्तावित इमारत (अपार्टमेंट) का नाम उभय पक्षों की सहमति पर निर्धारित किया जायेगा तथा विधिवत नामित होगा।
6. यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष सम्पूर्ण सुसज्जित व्यवस्थित निर्मित इमारत का आधा हिस्सा प्रथम पक्ष भूधारी को भूमि मूल्य के एवज में हस्तान्तरित कर देने की सहमति प्रदान करता है जिसके अन्तर्गत फ्लैट, दुकान, ऑफिस एवं गाड़ी पड़ाव प्रत्येक फ्लैट से सम्बन्धित पृथक हिस्सा शामिल होगा। साथ ही साथ अविभाजित भूभाग का आधा हिस्सा तथा सम्मिलित सामान्य उपभोग को जाने वाली सभी भूभाग होगा जिसका उपभोग वह जमीन मालिक की हैसियत में करेगा और फ्लैटों की बिक्री लीज अथवा हस्तान्तरण की अवस्था में वह उपरोक्त अधिकारों का हस्तान्तरण प्रत्येक फ्लैट के इतरपति समयानुसार हिस्सा आपसी सहमति के आधार पर किसी तृतीय पक्ष को हस्तान्तरित करने को पूर्ण अधिकृत होगा।
7. यह कि द्वितीय पक्ष विकासकर्ता ठीक उसी तरह निर्मित इमारत के आधे हिस्से के रूप में दाखिल काबिज होगा। विकासकर्ता द्वितीय पक्ष भूधारी प्रथम पक्ष की भांति वह सभी अधिकार, स्वतन्त्र एवं अपने हिस्से में अधिकृत होगा जिसमें सुसज्जित सुव्यवस्थित फ्लैटों, गाड़ी पड़ाव इत्यादि के भूभाग को समानुपातिक रूप से बिक्री लीज या अन्य प्रकार से किसी तिसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के हाथों हस्तान्तरित करने को स्वतंत्र वा अधिकृत होगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उभय पक्ष परस्पर निर्मित इमारत के आधे-आधे हिस्से के पूर्ण स्वामी होंगे। विकासकर्ता द्वितीय पक्ष सुसज्जित सुव्यवस्थित निर्मित इमारत का आधा हिस्सा प्रथम पक्ष भूधारीको सौंप देने के पश्चात् बाकी बचे अपने आधे हिस्से की बिक्री इच्छुक ग्राहकों अथवा अन्य तृतीय पक्षकारों को करेगा जिसके अन्तर्गत भूधारी प्रथम पक्ष द्वारा हस्तान्तरित फ्लैटों में भी सभी सुविधायें व उसके उपभोग का सामान अधिकार होगा।
8. यह कि इस भूमि विकास अनुबंध के निष्पादन के तुरंत बाद विकासकर्ता प्रथम पक्ष प्रस्तावित इमारत का नक्शा अनुज्ञापित प्राप्ति आर्किटेक्ट अथवा इंजीनियर से तैयार कराकर एफएओआरओ के नियमानुसार भूधारी प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर कराकर उसे सक्षम प्राधिकार के समक्ष अनुमादन के लिए प्रस्तुत करेगा।

For Maxima Ltd.

[Signature]
Managing Director



Maxima Ltd
25/4/16

[Signature]
25/04/2016

9. यह कि उभय पक्षों की सहमति पर विकासकर्ता प्रथम पक्ष यदि आवश्यक हो तो अनुमोदित इमारत के नक्शे में फेरबदल कर अपने जोखिम पर निर्माण कार्य करेगा परन्तु वह निर्माण सक्षम प्राधिकार के विहित प्रावधानों के अनुकूल होगा जो भूधारी प्रथम पक्ष की सहमति पर आश्रित होगा जिसका सारा खर्च विकासकर्ता द्वितीय पक्ष वहन करेगा। यदि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष भूधारी प्रथम पक्ष की सहमति पर अतिरिक्त निर्माण करता है तो उसमें भी पूर्वानुसार भूधारी प्रथम पक्ष आधे हिस्से का हकदार होगा। परन्तु भूधारी-प्रथम पक्ष किसी भी रूप में विकासकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा निर्माण किये गये बदलाव के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
10. यह कि भूधारी प्रथम पक्ष अपने हिस्से के आधा निर्मित इमारत के बनस्पति अपना नाम सभी सरकारी सिस्टम में दर्ज कराने को अधिकृत होगा और अपने हिस्से के भूभाग का दाखिल खारिज अपने नाम में करायेगा।
11. यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा भूधारी प्रथम पक्ष को सुसज्जित सुव्यवस्थित निर्मित इमारत का आधा हिस्सा हस्तान्तरित किये जाने के पश्चात् अपने उक्त हिस्से पर देय सभी प्रकार के टैक्स सरकारी व गैर सरकारी का भूगतान प्रथम पक्ष (भूधारी) करेगा उसी प्रकार अपने आधे बचे हिस्से से सम्बन्धित सभी करों का भूगतान विकासकर्ता द्वितीय पक्ष करेगा। परन्तु इमारत के निर्माणाधीन अवधि के अन्तर्गत सम्पूर्ण भूमि पर देय करों का भूगतान विकासकर्ता द्वितीय पक्ष करेगा।
13. यह कि आर्किटेक्ट द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही सुसज्जित सुव्यवस्थित निर्मित भवन का क्षेत्रफल, सामान्य उपभोग का क्षेत्रफल का प्रमाणित और अंतिम माप होगा जो उभय पक्षों के प्रति सामान रूप से मान्य होगा।
14. यह कि भूधारी प्रथम पक्ष प्लूट भूमि विकास अनुबंध निर्मादित करने के पश्चात् विकास कर्ता द्वितीय पक्ष, उसके

slamb 6/26
25/11/16

25/11/16
25/11/16


[Signature]
Director



9. यह कि उभय पक्षों की सहमति पर विकासकर्ता प्रथम पक्ष यदि आवश्यक हो तो अनुमोदित इमारत के नक्शों में फेरबदल कर अपने जोखिम पर निर्माण कार्य करेगा परन्तु वह निर्माण सक्षम प्राधिकार के विहित प्रावधानों के अनुकूल होगा जो भूधारी प्रथम पक्ष की सहमति पर अभ्यरित होगा जिसका सारा खर्च विकासकर्ता द्वितीय पक्ष वहन करेगा। यदि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष भूधारी प्रथम पक्ष की सहमति पर अतिरिक्त निर्माण करता है तो उसमें भी पूर्वानुसार भूधारी प्रथम पक्ष आधे हिस्से का हकदार होगा। परन्तु भूधारी प्रथम पक्ष किसी भी रूप में विकासकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा निर्माण किये गये बदलाव के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
10. यह कि भूधारी प्रथम पक्ष अपने हिस्से के आधा निर्मित इमारत के बनस्पति अपना नाम सभी सरकारी सिरिसते में दर्ज कराने को अधिकृत होगा और अपने हिस्से के भूभाग का दाखिल खारिज अपने नाम में करायेगा।
11. यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा भूधारी प्रथम पक्ष को सुसज्जित सुव्यवस्थित निर्मित इमारत का आधा हिस्सा हस्तान्तरित किये जाने के पश्चात् अपने उक्त हिस्से पर देय सभी प्रकार के टैक्स सरकारी व गैर सरकारी का भूगतान प्रथम पक्ष (भूधारी) करेगा उसी प्रकार अपने आधे बचे हिस्से से सम्बन्धित सभी करों का भूगतान विकासकर्ता द्वितीय पक्ष करेगा। परन्तु इमारत के निर्माणाधीन अवधि के अन्तर्गत सम्पूर्ण भूमि पर देय करों का भूगतान विकासकर्ता द्वितीय पक्ष करेगा।
13. यह कि आर्किटेक्ट द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही सुसज्जित सुव्यवस्थित निर्मित भवन का क्षेत्रफल, सामान्य उपभोग का क्षेत्रफल का प्रमाणित और अंतिम माप होगा जो उभय पक्षों के प्रति सामान रूप से मान्य होगा।
14. यह कि भूधारी प्रथम पक्ष प्रस्तुत भूमि विकास अनुबंध त्रिधातित करने के पश्चात् विकास कर्ता द्वितीय पक्ष, उसके

Handwritten signature
25/10/16

Handwritten signature
25/10/16
Manager Director



अभिकर्ता, कार्मिक, इन्जीनियर्स इत्यादि को सभी तरह की सुविधाओं सहयोग प्रदान करेगा तथा निर्बाध रूप से परिशिष्ट एक में वर्णित भूमि पर आने जाने की अनुमति प्रदान करेगा ताकि वह विकास अनुबंध में वांछित निर्माण कार्य को भलिभाँति सम्पादित कर सके।

15. यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रस्तावित इमारत का नक्शा अनुमोदित हो जाने अथवा भूधारी द्वारा परिशिष्ट एक में वर्णित भूमि का भौतिक दखल कब्जा सौंप दिये जाने के दिन से कुल 24 माह की अवधि के अन्दर सभी सुविधाओं से सम्पन्न निर्माण कार्य पूरा करेगा इसके बावजूद विशेष रूप से दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर यदि भवन निर्माण उपर्युक्त विहित अवधि के अन्दर पूरा नहीं हो पाता है वैसी दशा में भूधारी प्रथम पक्ष का परिशिष्ट एक की भूमि पर मालिकाना हक सुरक्षित रहेगा। विकासकर्ता द्वितीय पक्ष तब तक परिशिष्ट एक की भूमि पर अपना कोई हक हकियत नहीं जताएगा जब तक कि वह सभी सुविधाएँ-युक्त निर्माण कार्य पूरा कर (भूधारी) प्रथम पक्ष को निर्मित भवन का आधा हिस्सा विधिवत् सौंप नहीं देता। यदि विकास कर्ता उपरोक्त समयावधि में भी निर्माण कार्य पूरा करने में असफल हो जाता है तब भूधारी प्रथम पक्ष विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को अंतिम अवसर के रूप में छः माह की विशेष अवधि निर्माण कार्य पूरा करने हेतु प्रदान करेगा परन्तु इस बीच वह क्षतिपूर्ति के तौर पर 10/- प्रतिवर्ग फीट/माह मासिक भूधारी प्रथम पक्ष को नियमित अदा करेगा।

For Makani Developer

Managing Director

16.

यह कि यदि अपनी सुविधानुसार भूधारी प्रथम पक्ष अनुबंध के अनुरूप विशिष्ट एक में विहित निर्माण से पृथक कोई विशेष निर्माण या सुविधा प्रदान करने का आग्रह विकासकर्ता द्वितीय पक्ष से करता है तो उस अतिरिक्त निर्माण के लिए उसे वर्तमान प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार अलग से विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को भुगतान देना

25/4/16

25/04/2016

17. यह कि भूधारी प्रथम पक्ष को भवन निर्माण कार्य का सर्वेक्षण वो निगरानी का पूरा अधिकार होगा। वह इस बात का ध्यान रखेगा कि निर्माण सामग्री उत्तम गुणवत्ता की हो। सर्वेक्षण के दौरान यदि वह पाता है कि घटिया भवन सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वह उसी शिकायत विकासकर्ता द्वितीय पक्ष से करेगा और सलाह देगा कि उत्तम गुणवत्ता वाली भवन सामग्री विकासकर्ता अपने खर्च पर उपलब्ध कराये जिसे मानने के लिए विकासकर्ता बाध्य होगा।
18. यह कि भूधारी प्रथम पक्ष भूमि विकास के मद में किसी खास समय पर कोई प्रिमियम या लाभांश की मांग विकासकर्ता द्वितीय से नहीं करेगा जबकि वह विकासकर्ता के पक्ष में आवश्यकतानुसार विकास कार्य संचालन हेतु सभ जरूरी दस्तावेज निष्पादित करेगा। तथापि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष भूमि विकास अनुबंध से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों के पंजीकरण पर देय।
19. यह कि विकासकर्ता द्वारा सुसज्जित निर्मित भवन का आधा हिस्सा भूधारी प्रथम पक्ष को सौंपे जाने की तिथि से उभय पक्ष तथा उनके आवंटितों का अपने-अपने हिस्से के बनस्पति अविभाजित भूखण्ड पर समानुपातिक अधिकार, स्वत्व वां हित होगा जिसका उपभोग सामुहिक रूप से परस्पर अपने-अपने हिस्से के अनुपात में करने को अधिकृत होंगे जिसके लिए पक्षकारों द्वारा किसी भी प्रकार के दस्तावेज निष्पादन की बाध्यता नहीं होगी।
20. यह कि भूधारी प्रथम पक्ष विधिवत् शपथ लेता है कि वह परिशिष्ट एक में वर्णित भूमि के स्वरूप को सिी भी तरह परिवर्तित नहीं करेगा, भूमि किसी अन्य के हाथों नहीं बेचेगा और न ही किसी प्रकार किरायेगा इत्यादि निष्पादित करेगा। यदि वह ऐसा करता है तो वह सभी कृत्य इस भूमि विकास अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। भूधारी प्रथम पक्ष यह भी शपथ लेता है कि वह किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विकास कर्ता को परिशिष्ट एक में वर्णित भूमि से बेदखल करने का प्रयास नहीं करेगा। परन्तु यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि इस

Name: bps
25/4/16

Polypars (I) Pvt. Ltd.
25/04/2016

अतिरिक्त सुरक्षाकर्मा हेतु एक अलग कमरे का निर्माण भी भूतल पर कराया जायेगा।

24. विकासकर्ता द्वितीय पक्ष पुनः शपथ करता है :-
- (क) यह कि विकास कर्ता द्वितीय पक्ष कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी तरह भूधारी प्रथम पक्ष के अधिकार, स्वत्व वा हित को अन्यथा प्रभावित करे।
- (ख) यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष शपथ लेता है कि वह भूधारी प्रथम पक्ष को निर्माण कार्य की सभी त्रुटियों, आकस्मिक दुर्घटनाएँ, आपदाओं इत्यादि द्वारा कारित अतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त व अक्षुण्ण रखेगा। भवन निर्माण के दौरान कारित/घटित किसी भी जान माल की क्षति की भरपाई विकासकर्ता ही करेगा।
- (ग) विकासकर्ता प्रस्तावित भवन का निर्माण पूर्ण रूपेण अपनी खास स्रोत से अर्जित धन से करायेगा।
- (घ) उभय पक्ष आपसी सहमति व्यक्ति करते हैं कि यदि भविष्य में सक्षम प्राधिकार द्वारा अतिरिक्त निर्माण की छूट दी जाती है तो विकास कर्ता अनुमोदित नक्शों के अतिरिक्त भी निर्माण कर सकेगा जिसके हिस्से का बंटवारा उपर वर्णित तयसदा शर्तों के अधीन एक दूसरे का आधा-आधा होगा।
- (ङ) भूधारी प्रथम पक्ष परिशिष्ट एक में वर्णित भूमि के मुताबिक सभी दस्तावेजों को मूल/अभिप्रमाणित प्रति विकासकर्ता या उसके द्वारा विधिवत् अधिकृत अधिकर्ता को उपलब्ध करायेगा तथा भूभाग के दस्तावेजों और भौतिक सत्यापन में सक्रीय सहयोग करेगा तथा भूभाग पर अपना अकादय दावा साबित करेगा। वैसे विकासकर्ता द्वितीय पक्ष अपने स्तर से भूमि के स्वत्व के सम्बन्ध में दस्तावेजों सबूतों का सत्यापन कर संतुष्ट हो चुका है।
- (च) यदि परिशिष्ट एक में वर्णित भूमि के स्वत्व से सम्बन्धित किसी प्रकार की त्रुटि या भूधारी प्रथम पक्ष के विरुद्ध उक्त भूमि के विरुद्ध कोई अधिभार लंबित पाया जाता है तो विकास कर्ता प्रथम पक्ष भूधारी के खर्च पर उसे दूर

For Makaan Developers (I) Pvt. Ltd.
Managing Director

[Signature]

Number 6/46
25/1/14

[Signature]
29/04/2016

अनुबंध की सम्पूर्ण अवधि की समाप्ति के पश्चात् यदि निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो भूधारी प्रथम पक्ष ~~परिशिष्ट एक~~ की भूमि के बावत किसी प्रकार का कराकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ निष्पादित करने को स्वतंत्र होगा।

21. यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के मध्य अपने आधे हिस्से के वनस्पति प्रस्तावित भवन के किसी यूनिट की बिक्री हेतु खरीददारों से करार करने को पूर्ण अधिकृत होंगे परन्तु वह किसी भी प्रकार से भूधारी प्रथम पक्ष के हिस्से को प्रभावित नहीं करेगा। भूधारी प्रथम पक्ष विकासकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा किये गये वैसे सभी बिक्री करार या यूनिट आवंटन को सम्पूर्ण करेगा जो वह भवन निर्माण खर्च पूरा करने हेतु करेगा, ऐसे करार या आवंटन से प्राप्त राशि में भूधारी प्रथम पक्ष का कोई लाभांश नहीं होगा। साथ ही साथ विकासकर्ता द्वितीय पक्ष अपने सभी उपरोक्त कृत्यों के लिए स्वयं जवाबदेही होंगे, भूधारी प्रथम पक्ष को कोई जवाबदेही नहीं होगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विकासकर्ता ऐसा करते हुए भूधारी प्रथम पक्ष के हिस्से का किसी यूनिट को प्रस्तावित नहीं करेगा।

22. यह कि यह कि पूर्वानुसार भूधारी प्रथम पक्ष अपने हिस्से की किसी यूनिट या भाग या बिक्री हेतु करार या आवंटन के लिए पूर्ण अधिकृत होगा। परन्तु वह ऐसा करते हुए विकास कर्ता द्वितीय पक्ष के हिस्से को किसी भी तरह प्रभावित नहीं करेगा। भूधारी द्वारा किये गये वैसे सभी करार व आवंटन को विकासकर्ता सम्पूर्ण करेगा। भूधारी प्रथम पक्ष अपने हिस्से प्राप्त करेंगे और अपने कृत्यों के लिए स्वयं जवाबदेह भी होगा। विकासकर्ता द्वितीय पक्ष भूधारी प्रथम पक्ष द्वारा किये गये वैसे किसी करार व आवंटन के प्रति जवाबदेह नहीं होगा।

For Makani Developers L. Pvt. Ltd.

Director

23. यह कि सर्वप्रथम निर्माण स्थल के भूतल पर दो कार्मिक आवासीय शांतिचालय सहित परिक्षेत्र का निर्माण कराया जायेगा जिसमें एक भूधारी प्रथम पक्ष का तथा दूसरा विकासकर्ता द्वितीय पक्ष का विधिवत् सौंपा जायेगा उसके

Handwritten signature
25/4/16

Handwritten signature
25/04/2016

करायेगा और ऐसा करने के लिए वह पूर्ण रूप से अधिकृत होगा।

- (छ) विकासकर्ता द्वितीय पक्ष परिशिष्ट एक में वर्णित भूमि से सम्बन्धित सभी मूल अपने पास रखने को अधिकृत होगा। भूमि से सम्बन्धित प्रति अपने पास रखने को अधिकृत होगा। भूमि से सम्बन्धित मूल दस्तावेज भूधारी प्रथम पक्ष के पास सुरक्षित रहेगा जिसे वह आवश्यकतानुसार विकासकर्ता के निर्देशानुसार सक्षम पदाधिकारियों के समक्ष जाँच पड़ताल हेतु प्रस्तुत करेगा तथा प्रस्तावित भवन निर्माण के पश्चात् वह सभी मूल दस्तावेज भवन के आवंटियों द्वारा गठित संघ/व्यवस्थापिका को अंतिम रूप में सौंप देगा।
- (ज) उपरोक्त घोषणाओं के होते हुए भी विकासकर्ता द्वितीय पक्ष सहमति वे शपथ करता है कि वह परिशिष्ट एक में वर्णित भूमि पर से वैसे सभी विघ्न-बाधाओं, स्वत्व-दोष इत्यादि को भूधारी प्रथम पक्ष के खर्चे पर दूर करेगा ताकि निर्माण कार्य पूर्ण कर वह भूधारी को सभी प्रकार की त्रुटियों व अधिभार से मुक्त आधा हिस्सा सौंप सके।
- (झ) भवन निर्माण के पश्चात् विकासकर्ता जैसा उचित समझेगा भवन के विधिवत् आवंटियों उनके विधिक प्रतिनिधियों अधिकार प्राप्त किरायेदारों एवं सभी सक्षम निर्वासित व्यक्तियों के बीच सहकारी समिति का गठन करेगा जो भवन के रख-रखाव व सामान्य सेवा संचालित करेगा तथा उसपर आनेवाले खर्चे का भुगतान सभी संबंधित आवंटित करेगा उसे समय-समय पर विकासकर्ता अपनी सूझबूझ से तय करेगा उसे समय-समय पर पुनरिक्षित करेगा। इस प्रकार विकासकर्ता द्वारा तय शुदा मासिक शुल्क अदा करने के प्रति भवन के सभी आवंटित बाध्य होंगे।
- (ट) भवन निर्माण के पश्चात् निर्मित भवन में विकासकर्ता के हिस्से में उसके नामित व्यक्ति, व्यक्तियों का पूर्ण स्वामित्व अधिकार होगा जो-मान्य सहमति पत्र द्वारा अंतिम यप से तय होगा उसी प्रकार भूधारी प्रथम पक्ष के नामित व्यक्ति, व्यक्तियों का स्वामित्व, अधिकार उसके हिस्से वाले क्षेत्र पर होगा। इस मुतलिक प्रस्तावित मान्य सहमति पत्र में

For Makaan Developers II Pvt. Ltd.
Managing Director

Notes 6/6
25/4/16

Managing Director

25/04/2016

For Makaan Developers II Pvt. Ltd.

उल्लेखित शर्तों एवं नियमों के पालन के लिए परस्पर दोनों पक्ष सामान रूप से बाध्य होंगे तथा दोनों इस बाबत सहमति पत्र निष्पादित करेंगे।

- (व) निर्मित भवन के सम्मिलित क्षेत्राधिकार एवं सुविधाओं का उपभोग भवन के सभी आवंटित कथित नियमों एवं शर्तों के अधीन सामुहिक रूप से करने को अधिकृत होगा। परन्तु किसी भी आवंटित को किसी भी प्रकार सामुहिक क्षेत्रफल एवं सुविधाओं पर कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (ड) भूधारी प्रथम पक्ष सहमति प्रदपन करता है कि भवन निर्माण के पश्चात् उक्त आवासयी परिक्षेत्र पर सक्षम प्राधिकार या लोग उपक्रम के अधीन नियमों के अनुपालन में बिहार सरकार द्वारा आरोपित सभी करों का भुगतान उभय पक्ष अपने-अपने हिस्से के अनुपात में करेगा।
- (ढ) विकासकर्ता द्वितीय पक्ष सहमति व्यक्त करता है कि यदि अनुमोदित नक्शों से अलग किये गये निम्नण के लिए सक्षम प्राधिकार या सरकारी विभाग द्वारा किसी प्रकार का दण्ड शुल्क लगाया जाता है तो वह उसका भुगतान स्वयं करेगा।
- (त) विकासकर्ता द्वितीया पक्ष सहमति प्रदान करता है कि निर्माण कार्य हेतु नवीन विद्युत सम्पर्क प्राप्त कर, बनावट पर वर्तमान विद्युत सम्पर्क विधिवत् विद्युत बोर्ड के समक्ष समर्पित कर देगा जिसमें भूधारी प्रथम पक्ष को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।
- (थ) उभय पक्ष सहमति व्यक्त करते हैं कि प्रत्येक आवंटित अपने-अपने क्षेत्रफल के निस्वत् सभी प्रकार के पंजीकरण व दस्तावेजीकरण पर देय शुल्क का भुगतान स्वयं करेंगे।
- (द) प्रस्तुत भूमि विकास अनुबंध से संबंधित सभी विवादों के निपटारे के लिए एकमात्र क्षेत्राधिकार पटना व्यवहार न्यायालय को होगा।
- (ध) यह विकास अनुबंध समान विधि से दो टंकित को तैयार किया गया है, जिसकी मूल प्रति विकासकर्ता के पास सुरक्षित रहेगी तथा द्वितीय प्रति भूधारी प्रथम पक्ष को दी जायगी जो एक दूसरे का हू बहु सत्य रूप होगा।

For Mekan Developers II, Pvt. Ltd.
 Manager/Conductor

Name 6-86
 25/5/16

For Mekan Developers II, Pvt. Ltd.

25/5/16

द्वारा बेचा हुआ फ्लैट अग बिल्डर कस्टमर को
 जाता है तो उस कस्टमर का कोई भी दावा मेरे
 नहीं होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी बिल्डर की

जा पास लैंड ऑनर द्वारा कराया गया है इसलिए
 विपरीत कोई भी काम बिल्डर करवाता है तो
 पूरी जिम्मेदारी बिल्डर की होगी।

मे उभय पक्ष पूर्विकित तिथि माह वो वर्ष में
 पास अनुबंध अपनी-अपनी स्वेच्छा से उसमें लिखी
 को पढ़ पढ़वाकर, समझ-बूझकर उपस्थित साक्षियों
 त करते हैं।

For: Makaan Developers (I) Pvt. Ltd.


 Managing Director

हस्ताक्षर

25/04/2016

(विकासकर्ता)

हस्ताक्षर पूर्ण पते सहित:

नाम मिश्रा
 पता नाम मिश्रा
 [...]
 फोन - 800020

माह श्रीवास्तव
 एस. श्रीवास्तव
 - 32
 अपार्टमेंट
 - 14

पता
 83589416

स्व० सतीशचन्द्र गुप्ता अपने जीवनकाल में ही अपनी उपरोक्त भू सम्पत्ति रकवा 9 कट्ठा में से आधा-आधा बजरिये पृथक केवाला दिनांक 13.03.2006 के अपनी भतीजी नमिता गुप्ता जौजे संजय कुमार वो संजय कुमार वल्द नवरत्न लाल दोनों साकिनान 9, पी०सी०बो रोड, दानापुर, थाना-दानापुर, जिला-पटना के हाथों विक्री कर दिया जिसका केवाला नं० क्रमशः 1115 एवं 1116, पुस्तक संख्या-1, जिल्द सं०-सी०डी० 6 एवं पेज संख्या-25 ता 35 एवं 36 ता 48 संधारित है। दुर्भाग्यवश अपने पति स्व० संजय कुमार की मृत्यु के पश्चात् विधवा नमिता गुप्ता अपने दो नाबालिग पुत्र वो पुत्रील के कानूनी अभिभावक के रूप में सम्पूर्ण भूमि का दाखिल खारिज अपने नाम से कराया और विधिवत् बिहार सरकार को मालगुजारी अदा कर रही है। उल्लेखनीय है कि स्व० नवीन चन्द्र गुप्ता अपने जीवन काल में ही पारिवारिक सहमति से अपने हिस्से की भूमि का भूभाग रकवा करीब 14 कट्ठा जो इस विकास अनुबंध की विषयवस्तु है का कानूनी उत्तराधिकारी उनके दो पुत्र व विधवा क्रमशः अशीष कुमार, देवाशीष कुमार एवं श्रीमती शारदा गुप्ता को हासिल हुई जिसे तीनों आपसी सहमति से श्रीमती शारदा गुप्ता के नाम से सरकारी सिरिश्ते में दर्ज कराया है।

तदनुसार उपरोक्त भूधारिणी अपने नाम में दर्ज भूमि 11 कट्ठा के सम्बन्ध में प्रस्तुत विकास अनुबंध निष्पादित करने में पूर्ण सक्षम है एवं निर्विवाद रूप से अपनी भूमि का स्वत्व हित वो देखल कब्जा उसे प्राप्त है।

Handwritten signature



Handwritten note: kanta 4/6 25/4/16

Handwritten note: 25/04/2016

परिशिष्ट-दो

(प्रस्तावित भवन की विशिष्टताएँ)

1. घेराबन्दी - आर0सी0सी0 बनावट पका ईंट व सीमेंट पाया जैसा कि बनावट विशेषज्ञ द्वारा निर्देशित होगा।
2. चौखट - सखुआ लकड़ी निर्मित
3. मुख्य दरवाजा- पफनल दरवाजा फ्लास दरवाजा 32 एम0एम0 वाटर प्रूफ ब्रांडेट बिडिंग के साथ दोनों तरफ पॉलिश।
4. अन्य दरवाजे-32 एम0एम0 मोटाई आइ0एस0आइ0 मार्का फूलस दरवाजा।
5. खिड़कियाँ - पावर कोटेड एल्युमिनियम फ्रेम के साथ शीश
6. सतह-सभी फ्लैटों के संपूर्ण क्षेत्रफल में भिटीफाइड टाइल्स (जॉनसन/कजरिया) कोई और
7. रसोई घर - (अ) सतह सेरेमिक टाइल्स
(ब) प्लेटफार्म बनावट हरा ग्रेनाईट पॉलिश के साथ
(स) दादो - 24" ऊँचा टाइल्स
(द) सिंक - स्टील सिंक/मार्बल सिंक
8. डाइनिंग स्पेश- संबंधित क्षेत्र में एक बाश बेसि का प्रबन्ध (हिन्देवयर कम्पनी का)
9. स्नानघर/प्रसाधन - (अ) टाइल्स फ्लोरिंग (जॉनसन/लोमानी) या कोई और
(ब) दीवार चमकीला टाइल्स 7 फीट ऊँचाई तक ।
(स) सैनिटरी सफेद चमकीला मिटरस सेनेटरी वेयर आइ0एस0आइ0 मार्का (हिन्द वेयर पैरिवेयर अथवा समतुल्य)
(द) फिटिंग कोरमियम प्लेट फिटिंग
(इ) सिसटर्न एकरेलिक फाइबर शीश सिसटर्न सफेद रंग में।
वाशिंग मशीन प्वाइंट इनलेट पोटलेट व्यवस्था के साथ ।





Hand upls
25/5/16

Hand upls
25/5/16

10. विद्युत कार्य (अ) सभी आंतरिक अदृश्य ताम्र
आइ0एस0आइ0 मार्का
(ब) सभी विद्युत स्वीच और सा
कैनी या समतुल्य कम्पनी
11. टी भी/दूरभाष - दो टी0भी0 प्वाइंट और दो
प्वाइंट क्रमशः ड्राईंग रूम
शयन कक्ष में।
12. कॅबल - दो कॅबल प्वाइंट क्रमशः ड्राईंग रूम
शयनकक्ष में।
13. आन्तरिक दीवार - सभी आंतरिक दीवार प्लास्
पेरिस द्वारा फिनिश होगा।
14. बाहरी दीवार - सभी बाहरी दीवार वेदरकोकट
फिनिश होगा।
15. पार्किंग - मार्बल क्रेजी सतही करण
16. प्रसाधन - दोहरा कोकट टेकोक्सी ट्रीटमेंट चोक
युक्त या समतुल्य ।
17. बोरिंग - बोरिंग तथा ट्यूबवेल मानक क्षमता रू
विशिष्ट आपूर्ति मशीन सफेद मानक क्षम
कॅ0एस0बी0 या समतुल्य मार्क समरसेबुल
18. सामुहिक प्रसाधन - नौकरो के लिए भूतल पर
प्रसाधन की व्यवस्था होगी
मालिक का फ्लैट डिसटेपर
जाएगा।
19. लिफ्ट - इलवेटर उतम कम्पनी का छः यात्रियों
क्षमता युक्त लगाया जायेगा (ओट
20. जेनेरेटर - उपयुक्त क्षमता वाल जेनेरेटर स्टैंड
आपूर्ति युक्त ।
21. ट्रान्सफरमर - उपयोगितानुसार तथा पेसू द्वारा अ
अनुसार ट्रान्सफरमर लगाया जायेगा
22. इन्टरकम - सभी फ्लैटों में इन्टरकम की सुविधा
होगी।

For Makar Developers

Managing Director

बैंक खाते से चालान मिला
खर्च सत्यापित किया।

भासे लिपिक

2-570572016

Managing Director

Endorsement of Admissibility

Admissible, under Rule 5 : duly Stamped under Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or

or does not require stamp duty as admissible under section

the

Stamp duty paid under Indian Stamp Act
Addl. Stamp duty paid under Municipal Act

paid By N.J Stamp Act
paid through Bank

0/-
345/-

Registration

FEE PAID	A1	20000	C	0	H1
	A8	0	D	0	H2
	A9	0	DD	0	I
	A10	0	E	0	J1
	B	0	H1a	0	J2
	Total amount paid (Reg. fee+LLR, P				

Li	0
Lii	0
Liii	25
Liiv	0
Li	25025
TOTAL-	25025

Charge

00

25625

Date: 09/05/2016

Officer Patna

Endorsement Section 52

Presented for registration at Registration Office Patna by Kumar by profession Others. Status - Ex

by, 25th April 2016

Sanjay

Nanda Gupta
9/5/2016

Signature/L.T.I. of Presentant

2016

Officer Patna

Endorsement Section 58

Execution is admitted by those Executed by 'Srivastava' age '40' Sex 'M' 'Badrivila, apatment, duzara, phulwarishar' are affixed as such on back page / pages

the person (Identity of the person (Id... Vileshwari Sa... Photographs, F...

ar
of
s

Date : 09/05/2016

Officer Patna

Endorsement of Copy of Registration under

Registered at Registration Office Patna stored in CD volume No. CD-18 year 20

23 on pages on 9... Printed on the Fro

16 and

[Signature]

Date : 09/05/2016

Token No. : 5283 Year : 2016

SCORE Ver.4

Officer Patna 5185

PERMANENT ACCOUNT NUMBER
AACCM4452H



OPERS (I) PVT LTD

DATE OF INCORPORATION INFORMATION

आयकर आयुक्त, पटना


DIRECTOR OF INCOME TAX (SYSTEMS)

जाने पर कृपया जारी करने
/ वापस कर दें

Kindly inform/return to
Income-tax, Patna.

For Makaan Developers (I) Pvt. Ltd.

Managing Director



Ravesh Kumar Srivastava

For Mahan Development Pvt
Managing Director

15-11-19

भारत सरकार
 Ministry of Information and Public Relations
 राकेश कुमार शिवास्तव
 Rakesh Kumar Shivastava
 पिता : स्व० विलेश्वरी साहय
 Father: LATE VILESHWARI SAHAY
 जन्म तिथि / DOB : 26/01/1959
 पुरुष / Male

6003 2503 5085

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारत सरकार
 Ministry of Information and Public Relations
 Address:
 32 बद्रिविला अपार्टमेंट, गेट नं०-18,
 32 BADRIVILA APARTMENT,
 GATE NO-18, DUJRA, PATNA,
 धुवारी, पटना, पटना, पटना
 Phulwari, Patna, Patna G.p. Bihar,
 800601
 800601

6003 2503 5085

1947
 1820 221 1047

help@uidai.gov.in
 www.uidai.gov.in

Rakesh Kumar Shivastava

For Maktin Sarin
 [Signature]

राकेश साहय

वसोका नं०-

स्टाम्प- 176 रूपया

1. नाम मनमोकिरान :-

1. मन्मद हसन वल्द मोहम्मद हसन मरहुम वो मोहम्मद सालीम खाँ
वल्द मोहम्मद खलीम खाँ मरहुम वो बीबी ताहेरा खानम जौजे मोहम्मद
झा मुद्दीन बोपित वो 4 बीबी शाजहाँ पेसम जौजे मोबोपुर रहमान
वो पीपी नुरजहाँ बीबी जौजे मोहम्मद रेहान खाँ मरहुम जात पैठान
पेशीदारान तेजारत साँकान सुल्तानपुर प्रमनापुखवारी स्लाका थाना
वो सव डीकन दानापुर जिला पटना।

2. नाम मोकिर अलेह :-

केसू भागवत प्रसाद वल्द वासू दीक्षित ताव वैकुण्ठवास जात छटीक
पेशा तेजारत साँकान कैम्प दानापुर पौठ्या पर प्रमनापुखवारी
स्लाके थाना वो सव डीकन दानापुर जिला पटना।

3. कीसीम बीका :-

केवाला ब्यला कला मी

4. तायदाद बरसमन :-

मो० 4000/-रूपया बर्व सरकारी के आधा जितका मो० 2000/-
रूपया बर्व मीसुफ होता है।

5. तायदाद तैयमो वईया :-

मवाजी 4 कूठा 5 पूरा शराजी डकीयत कास्त रैयतो मीरुती जयमो
नकदी वाके मीजे मैनपुरा प्रमना पुखवारी स्लाका थाना वो सव
डीकन वो सवरजिस्ट्री दानापुर वो जिला रीजिस्ट्रेशन बरेरई सदर

बिलापटना नं०-5234 तीजी, यानानं०-24 छातानं०-236 तरवे नं०-335 लगान म्म शोष साखाना मो० 6 रूपया 78 नया पैसावजमोदारो तरकार बहादुर वो एराजी म्बकुर अन्दर हल्का म्गुनिपीलटी दानापुर के वाके है ।

उत्तर-रा म्मन्दर म्हतो

दीक्षण- तडक तरकारी

पुरव- रधुनी म्हतो

पीषम-प्यारे म्हतो

अंजाजा के जायदाद हाय मुन्देरे वसीकहाजा मुरीशाआला मनमोकारान से स्के वाद दोमरे मुन्तकीत होता हुआसीर वदकल मनमोकारान के दर आवाके बिस्तपर मनमोकारान पैला तिरका रिकती के वो प्खदाय जरे मालगुजारर कापिब वो दीखल क्ले आते है वो है वो मनमोकारान को पुरा हक वो अख्तियार बेचने प्गैरह काहासीत है यह के मनमोकारान को जरूरत रूपयाके वास्ते कारोवारतेजारत वो खर्च खानेदारी असद दरपेशा है वो प्गैर बेचने जायदाद खानानं०-5 के सामान होनारूपया का म्मैर इमकानहै इस प्जह से मनमोकारान ने जायदाद खाने नं०-5 के बेचने का आमतीर पर खान रिक्याबितके खरीदारी के खाहशामोकर अलेह ने रिक्यावो फीमापैन जायदाद खाने नं०-5 का कीमत अदल वो वाजीव मो० 4000/-रूपया तय पाई वो वरवक्त पक्का होने वातपीत के मो० 200/-रूपया ब्य-पेयाना खरीदार से वसूल पा चुके है जरेसम हाजा में खरीदारको मोजरा बने कर दिया वो वीकं मो० 3800/-रूपया नकद वरवक्त एकार रीजस्ट्री वरसरे खलास वमोकावले जनाव तव रीजस्ट्रार ताहेव बहादुर मोकाम दानापुर के वसूल पाकर वकबब वो तस्फ वो तेहत अपने अपने दर लावेमें पत हस्व वादा मोआहदा मनमोकारान को रिक्यावतीका ब्य तिनशक्त जायदाद खाने नं०-5 के वहक वो वनाम मोकरअलेह खरीदार के तहरीर वो तामिल कर देनावहुत जरूर वो वाजीव वोक्तरीक इनताफ है तेहाजा

For Wakan...

Managing Director

मनमोहिनी देवी रजाय वीरमक्त वो पदुस्तगी होश वो इ सेवात
 अक्त वो सेहत जात अपने हर किस्म के नफ्त वो नोक्तान को
 पछुपी तम्झकर वो पुझकर वो पेहीखहान से मधावरा अबादाना लेकर
 पैता जप वो दवाव किस्ती के जायदाद हाय खाने नं०-५ मुन्दर्जे पसीका
 हाजा बिस्तकी पुरी तफ्सील खाने नं०-५ में लिखा हुआ है इस वक्त
 पैता किस्ती कछावो दक्त में मनमोहिनी के पैताआता है वो है वो
 हर किस्म के वारदैन वो खोशसे पाक वो ताफ है वो कोई दूसरा
 शरीक वो हिस्सेदार हमलोग का नहीं है उसको वकील अदल मो०
 ४०००/-रुपया खाने नं०-४ मुन्दर्जे पसीका हाजावदस्त वापू भागवत
 प्रसाद मोहिनी अलेह खाने नं०-२ मुन्दर्जे पसीका हाजा के पैतासक्ताद
 बेवावो बयलाक्ता मो किथा वो मो० २००/-रुपया ब्य-पेयाना
 खरीदार से वसूल पा चुके है उसको मोजरा कर दियावो वीक्ये मो०
 ३८००/-रुपया वरवक्त एकरार रजिस्ट्री इजलास परखरीदार से वसूल
 पाकर अपने अ कछे में दर लाये पत वतसलीम केवाला हाजा खरीदार
 को उपरसैयमोवईयाके वकायम मोका मो जात अपने अपने कांयज वो
 दीखल वो मालिक मुस्तौकल भरदाना वो जो कुछ वदकुक् मन मोहिनी
 को सैयमोवईया में इस वक्त तक हासिल है वो तब कुल हक वो हक
 मनमोहिनी से साबितवो क्त अम वीजनसही वो पैता तफ्सील का
 फरिये केवाला हाजा आज के दिन से खरीदार को हासिल हुआ
 था वीके खरीदार कांयज होकर वो नाम अपना वीसोरस्ती
 जमींदारी में दर्ज करा लेवे. इसमें मनमोहिनी या वारसानमनमोहिनी
 को कुछ उझ न होगाअप खाह आइन्दा मनमोहिनीवो वारसान वो
 कयम मोकांम्यान मनमोहिनी को वीनशक्त वसुली भरतमनखाह
 सैयमोवईया किस्ती किस्म कादावा वो मोतालवावो मोआख्जाहके
 वो तलवे वोखुमो साथ खरीदार वो वारसानवो कयम मोकांम्यान
 उनके वाकी नहीं है वो न रहावो न होगा वो मनमोहिनीने
 खरीदारको यकीन दिखाया है वो वावर कराया है के सैयमोवईयाहर
 किस्म के वारदैन वो खोश वो नोक्त हकीयत वो वारकेफालत

वो बवाल हकीयत वो तकरार हकीयत वो कुल बुझे मखदुसात वो
 छुदसात वगैरह से पाक वो साफ है पुनानचे खरीदार ने मनमोकिरान
 के यकीन दिखाने वो वावर कराने पर तैयमोवईयाको कबरेसम
 मस्तरा मनमोकिरान से वसुशी वो ख्वाइश अपने खरीद रिक्या है
 अगर वाद तहरीर वो तामिल केवाला हाजातैयमोवईया वारदेन
 केफाकती रिक्ती महाजन का या रिक्ती का पायाबावे तो उसके
 अदायकारी वो मारमुखकलस जात वो माल मनमोकिरानके खरीदार
 से कोई सलाका वो सरोकार नहीं है वो न होगा अगर खरीदार
 वनजर बघाने तैयमोवईया अपने देन केफाकती रिक्ती महाजन को
 अदाये करे खाह बुज व या कुल तैयमोवईया कब्जा वो दखल से
 खरीदारके वाहर निकल जावे या रिक्ती रिक्तीम का तखुल वो फुर
 वाके होवे या नोक्स वगैरह बाहीर होवे या वेदकली या रिक्तीम का
 नोक्स वगैरह बाहीर होवे उसवक्त खरीदार को अहिदारहासिल
 है वो होगा के फसुरत अदायकारी देन केफाकती के कुल बरे
 मवदाय अपना मय सूद वसरह मोफदाय अब तारीख अदाय तारीख
 वसलवो फसुरत वेदकली कौरह के बु या कुल बरेसमन अपना मय सूद
 पहसाव सूद रिक्तीम मो 0 1/-रुपया माहवारो वबोरये ना लिखा
 वो वसवील मोनासीव वो जात वो माल वो जायदाद मकुला
 वो अर मनकुला आम हर एक साम से वो भी जायदाद नामीवो
 वेनामी असल खाह फरबी या जित सीवल से मौकावो मोनासीव
 जाने मनमोकिरान वो वारसान वो कयम मोका मियान मनमोकिरान
 के वसूल कर लेवेमे उसवक्त मनमोकिरान वो वारसानवो कयम
 मोका मियान को इसमे कोई जुर वो स्तराब रिक्ती केवानवो
 उनवान से नहीं है वो न होमावो कुल मयमुनकातिय से पटपाकर सु
 लियावो समू लिया है वो मनमोकिरान वो वारसान वो कयम
 मोका मियान मनमोकिरान हमेशा पावन्द वजीमो तराकत दुन्दे
 वालाके हुएवो है वो रहेमे । माहे तराकत वालासे मुनहरीफ न होगे

अगर मुनहरोफ हो तो वसो का पले वसोका ह्यला इन्दल अदालत और हर एक मोका मात में नाजायज वो वा तिल मोतसांर होगा वो का विल समाया अदालत वगैरह के न होगा।

इसवास्ते केयाला ह्यलाक्ला मो अपने अपने हर किसी केवखी सम्झ पुझकर लिख दिया किपक्तपर काम आवे।

तहरीर तारीख 5-2-68

सही मज्रुल हसन ह्यलाक्ला मो लिखा कुल मज्रुन का विल से पटपाकर सुन लिया वो सम्झ लिासहीवो दुरुस्त है वा :खास 5-2-68

सही मोहम्मद सालोम खॉ वयलाक्ला मो लिखा कुल मज्रुन का विल से पटपाकर सुन लिया वो सम्झ लिासहीवो दुरुस्त है 5-2-68

सही बीबी ताहेरा खानम वो बीबी साह्यहाँ वेगम वो वीवी नर जहाँ ह्यलाक्ला मो लिखा कुल मज्रुन का विल से पटपाकर सुन लिया समझीलया सही वो दुरुस्त है वा मोझुल हसन सही मोझुल हसन मोी करान निशान भरे सामे ब्नाया वा :खास

गवाह अयोध्या प्रसाद सांकि कैम्य दानापुर पेी व्यापर वा :खास

गवाह श्रवण सांकि दानापुर पेी व्यापर वा :खास

गवाह मोहम्मद मुश्कीद रजा खॉ सांकि म्हल्ला तुलतानपुर वा :खास

का विल वसो का हाजा शौख मोहम्मद फ़लुला मोका मो दानापुर मोी करान के पटकर सुना सम्झा दिया है।

पुस्तक सं०-।

पेज सं०-

पेज सं०- से तक

वसो करान सं०-

सन् 1968

For Makani Development


Managing Director

602

BIHAR

40001 678

150 Rs.



एक सौ पचास

Handwritten notes in Hindi, including a signature and some illegible text.

26 402
23

J. P. d.
A. 28-00 S. 1-00
N. 4. 00 16.44

~~32.00~~ 2.44
37.44


96.00
80.00
176.00

~~37.44~~

5/2/68

Handwritten text in Hindi, possibly a list or account, with numbers 1 through 5 written above the lines.

For Makaan... Ltd.
Signature



Handwritten text in Devanagari script, likely a header or title for the document.

2
100-
100-
100-

Handwritten text in Devanagari script, possibly a date or reference number.

Handwritten text in Devanagari script, possibly a date or reference number.

Handwritten text in Devanagari script, possibly a date or reference number.

Handwritten text in Devanagari script, possibly a date or reference number.

3
100-
100-

Handwritten text in Devanagari script, possibly a date or reference number.

4
100-
100-

Handwritten text in Devanagari script, possibly a date or reference number.

Handwritten text in Devanagari script, possibly a date or reference number.

Handwritten text in Devanagari script, possibly a date or reference number.

Vertical handwritten text in Devanagari script, likely a signature or official statement.

Handwritten signature in blue ink at the bottom of the page.

Handwritten notes in the left margin, possibly a date or reference number.

Main body of handwritten text, consisting of approximately 20 lines of cursive script. The text is dense and appears to be a formal document or a detailed letter.

Handwritten signature or stamp at the bottom center of the page.

480 Bihar Sale of House. 5000/- value. 4809 75 RS.



21-4
1-9
-5-
23/2

Handwritten notes in Hindi/English, including 'Bihar' and 'Patna'.


Shewanandani 16/9/48

Main body of handwritten text in Hindi, likely a legal document or account, with multiple lines of script.

Vertical handwritten notes on the right side, including 'Patna', 'Bihar', and 'Shewanandani'.

For Mekan Developers Pvt. Ltd. *Phury*

Vertical text at the bottom right, possibly a signature or date.



Handwritten text in Devanagari script, likely a ledger or account book, with multiple lines of entries and some numbers.

Handwritten signature or name in blue ink.

Handwritten signature or name in black ink, written vertically.

Handwritten number '16-9-17' in black ink.

Handwritten text 'Dinakar e 16-9-17' in black ink.

Handwritten text in Sinhala script, likely a memorandum or report. The text is dense and covers most of the upper half of the page.

17 JAN 1971

Handwritten signature or name in Sinhala script, written vertically.

14.6.71

Handwritten text in Sinhala script, appearing as a list or series of notes at the bottom of the main text block.

For Makaan Dev...
Managing Director

Handwritten signature or name in Sinhala script, written vertically on the right side.

Handwritten text at the very bottom of the page, possibly a date or reference number.

: २ :

१. मौजा राँस्वपुर शिकरपुर (नासरीगंज) , दानापुर अवस्थित परती जमीन तथा उसके उधरवारी पटना दानापुर पेन रोड के सटे दक्षिण मिरा हुआ , पकान के साथ (पकान के १७ पहाल के ६ वार्ड नम्बर २ पहल्ला नासरीगंज , दानापुर म्युनिसिपैटी , का पुरा रकबा ४७१२६ वर्ग फीट , परती जमीन का तौबी नम्बर ४८५४ , छाता नम्बर १६७ और १२६ प्लॉट नम्बर ३६१ तथा ३६५ है जो डा० पद्मेश प्रसाद द्वारा दिनांक १६-६-४७ को रजिस्ट्री नम्बर ३००० द्वारा लिया गया है ।

२. मौजा शिकरपुर नासरीगंज दानापुर अवस्थित परती जमीन जिसका तौबी नम्बर ४८५४ , छाता नम्बर १३३ प्लॉट नम्बर ३६० जिसका रकबा ५३ (तोरपन) दिशिमित है। जो स्क की पती देवी देवी देवी बाबु पदारथ लाल साव द्वारा दिनांक १३-२-४५ को रजिस्ट्री नम्बर ४१६ द्वारा लिया गया है ।

३. बंगला जो दानापुर स्टेट पे एकरसन रोड पर अवस्थित है जिसका पकान रकबा १६ ए तथा १६ , पहाल नम्बर ४ वार्ड के है जो स्क की पती कित्तायेणी देवी कत्नी डा० पद्मेश प्रसाद द्वारा दिनांक १७-११-५७ को रजिस्ट्री नम्बर ३०१० - १६६५ एवं ३०१६ - १६६४ द्वारा ली जा गया है ।

K.T.G. for the Makaan Property



For Makaan Development
[Signature]

Man...

3-8-90
3/24 1990
0661 12/8

: ४ :

पारली जमीन तथा इसके उत्तरवारी व पटना दानापुरमेन रोड से छे
दक्षिण धिरा हुआ पकान , (पकान नं १७ पहाल नम्बर ६ व
नम्बर २ पहाल नासरीगंज , दानापुर म्युनिशिपलेटी के अन्तरगत
पुरा का रकबा - ४७९२६ वर्ग फीट .

पारली जमीन = जमीनी नम्बर २२२४ , ताता नम्बर २६७ तथा २२६
प्लॉट नम्बर ३६६ एवं ३६५ - पूरे जमीन (गिरे हुए पकान सहीत
का १।३ (एक तिहाई) हिस्सा सलग्न नक्शे के अनुसार जो करा
है दिखाया गया है तथा नक्शे में (वी) बंनित है जिसका चौख्दी
इस प्रकार है :-

चौख्दी :-

पूरव :- स्व. श्री राधेकृष्ण प्रसाद का पकान

तथा श्री रावेल सिंह का पकान

पश्चिम :- १२ फीट चौड़ा प्राइवेट रोड

उत्तर :- दानापुर पटना मेन रोड

दक्षिण :- १२ फीट चौड़ा प्राइवेट रोड

२. चौख्दी सिद्धपुर (नासरीगंज) , दानापुर जवास्थित
जमीन जिसका जमीनी नम्बर २२२४ , ताता नम्बर २३३ , प्लॉट न

Mr. S. B. Mahesh Kumar

2-2-93

6/5/93

21/5/93

Handwritten signature

: 4 :

नक्शे के अनुसार जो धरा इन से दिखाया गया है नक्शे में (सी)

(डी) बंक्ति है इस हिस्से का बौखी इस प्रकार है :-

(सी) पुरव :- १२ फीट चौड़ा प्राइवेट रोड

पश्चिम :- बानापुर म्युनिसिपल रोड

उत्तर :- श्री छवि मृगण का जमीन

दक्षिण :- १२ फीट चौड़ा प्राइवेट सड़क .

(डी) पुरव :- श्री अश्वनाथ महतो एवं गंगा महतो का ज

पश्चिम :- १२ फीट चौड़ा प्राइवेट सड़क

उत्तर :- श्री कुलकन साव तथा श्री रामानन्द साव

दक्षिण :- श्री नवीन चन्द्र गुप्ता का जमीन

यह कि लेख्यकारीगणों १ , २ और ३ को आपस में

बिना ही आपसी मतभेद सख सम्पत्तियों को लेकर बढ़ता जा रहा

लेख्यकारी ३ एवं २ अपना ताना पीना एवं व्यवसाय अलग करने

लेख्यकारी १ अपने बड़े लड़के लेख्यकारी -२ श्री नवीन चन्द्र गुप्ता

साथ रह रहे हैं उनके के देव पाल का पार उन्हीं पर है। इसी

लेख्यकारीयों १, २ और ३ ने अपने आपसी बिबादों को

निष्पत्तितरिपु सुमन्वितकों के फरका तथा उनके फुत्तावाँ के लय पर १

K.T. 99 Dr. Mukta Prasad



Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'Deraj' and other illegible text.

शुभचिन्तकों के नाम एवं पुरा प्ला :-

१. श्री क्लान्स्व भिखा , नौरक्ष्माय लिन वॉरींग कैनाल रोड पटना
२. श्री दीनानाथ प्रसाद " " "
३. श्री निखिल कुमार पुष्पी " " "
४. श्री प्रताप नारायण गुप्ता वैशु पावर हाउस, करविमधिया , पटना
५. श्री पद्मेश चन्द्र गुप्ता :- चान्कमारी रोड पटना -२२.

यह कि इन शुभचिन्तकों की पक्षी रा और वापसी हानि - लाभ की कच्ची तरह समस्त बुझकर और हर सम्पत्तियों का इस तरह लौट क अपनी - अपनी स्वेच्छानुसार उक्त वणिक्ति सम्पत्ति को निम्न प्रकार से बाँट लिए ।

कैडिका ए के परिशिष्ट क्रमा १ (लाट क्रमा १) में वणिक्ति समस्त सम्पत्तियों को इस विभाजन के फलस्वरूप श्री श्री वीर चन्द्र गुप्ता श्रेयकारी नम्बर २ में प्रदान किया गया है तथा उही तरह कैडिका ए के परिशिष्ट क्रमा २ (लाट क्रमा २) में वणिक्ति समस्त सम्पत्तियों को इस विभाजन के फलस्वरूप श्री श्री वीर चन्द्र गुप्ता श्रेयकारी नम्बर ३ में प्रदान किया गया है ।

K.T.S.P. D-Notary Panch
 20/11/2023
 06/11/2023
 13/11/2023

For Details Visit Pwv.Ltd.

: ८ :

यह कि घंटवारा दिनांक २२-१२-८६ को ऊपरोक्त १
नाम जोतकर ही गया और हर फटा अपने अपने सम्पत्ति
को बाए परन्तु उसका कोई लिखित कागज नहीं बनाया,
के शुमान्तकों ने यह वादपत्र एकरार नामा लिखाना

यह कि लेख्यकारी क्रिया १ डॉ० नवीन प्रसाद ने
स्वेच्छा से जला कोई हिस्सा नहीं लिये है। तथा अधिक
तरह का हिस्सा या दावा किसी भी न्यायालय के सम
के अपने कई पुत्र लेख्यकारी नम्बर २ श्री नवीन कन्न गुप्ता
रहे हैं और उनके दस्तावेज की जिम्मेदारी उनकी पर है।
नवीन कन्न गुप्ता को कुछ अधिक सम्पत्ति हिस्से में दे दी

यह कि लेख्यकारी क्रिया २ और ३ अपने अपने लाट
पर जला जला कच्चा दस्तावेज भी कर लिया।

यह कि घंटवारे से प्राप्त सम्पत्ति पर उनका स्वामित्व
और बैसा के बाहे बैसा व्यवहार कर सकते हैं। यह घंटवारा
क्रिया १ के परनापरान्त कोई परिवर्तन नहीं होगा
कोई भी पत्र कोई दावा नहीं करे। एक मां सम्पत्ति
सुप्रीम कोर्ट १९८०

२१/१२/८६
२१/१२/८६
२-२-९०

२१/१२/८६
२१/१२/८६
२-२-९०

For Wakan...

Handwritten signature and stamp

: १० :

कोई लिखित बयान अलिखित कृत पत्रों से बनाए जाय या मविष्य में बनाये जाय तो वह कानून से न्याय में अमान्य, खतरा की प्रभावहीन और गैरकानूनी होगा।

यह कि इस वाक्यास्त एकरार नामा के दो प्रतियाँ तैयार किया गया है मूल एवं मौखना (द्वितीय) वहीका दोनों ही साथ साथ समान तैयार किया गया है तथा दोनों मूल ही समझी जायगी।

इस वहीका के सम्बन्ध में आवश्यकरी मण सुध से पढ़कर दो पढ़वाकर समझ लिया तथा अपनी अपनी स्वेच्छा से विना किसी दबाव के वहीका पर अपना अपना हस्ताक्षर तथा चाय उंगुठे का निशान

तदर्थ लेखकारणी इस वाक्यास्त एकरार नामा पत्र को दिनांक 3/2/1998 को निम्न गवाहान के समक्ष निष्पादन कर दिए

समय पर लप जाए व प्रमाण गवाहान

1. Kalanand Hing...
2. Dinanath...
3. Mahesh...
4. Prakash Narayan...
5. Mahesh chandra...

लेखकारणी

3/2/1998
370 १६-१११११
लेखकारणी एवं...



2539, 2560, 2561

01CC 948722

1570, 1571, 1572. 23/10/2002
1573

लक मुगतान
 मिति: 07.10.2002
 रकम: 25000/-
 प्रदायी: 25000/-
 उदायी: 25000/-
 पत्र: 25872

[Signature] 26/10/02
 11.11.02

शुद्धी प्रति दस्तावेज परिचय 1976
 की धारा 26 (1) के अन्तर्गत/केन्द्र
 की... 176 दिनांक 4/11/2002
 द्वारा कि या, प्रमाण मान्य हो चुकी है।

सर्वर निदेशक
 हावापुर

Sharda Gupta
 211264 2581
 23.3.2002

208400
 17360
 38200

[Signature]

For Director
[Signature]
 Managing Director

L. Ak 2017

- 2 -

ये कि उपरोक्त सम्पत्ति की विज्ञापित सेवाकारियों ने प्रदर्शित सम्पत्ति भूमि हस्तांतरण 1978 की धारा-26(1) के अन्तर्गत भूमि सेवाकारियों से प्राप्त के तब दिनांक 9-1-2002 को भी भूमि हस्तांतरण किया है। जिसका प्रमाण क्रि.सं-126 त् 2002 है। जिसमें यह दिनांक से अग्रिम को अग्रिम हस्तांतरण को पुनः देखा जा सकता है कि उक्त सम्पत्ति के अधिग्रहण का भूमि हस्तांतरण को अग्रिम भूमि हस्तांतरण को सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है। जिसे उक्त अधिनियम की धारा-26(1) के अन्तर्गत स्पष्ट कि हस्तांतरण द्वारा सम्पत्ति के हस्तांतरण करने में सरकार को कोई अधिकार नहीं है।

तदर्थ -

श्रीमान एड. जे.के. खन्ना-5 में निर्दिष्ट सम्पत्ति सेवाकारियों को-1 के तब को हस्तांतरण 2 को 3 के द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त किया जाये कि कार्रवाई किया जाता होगा जारी नरुमा नारायण 15-7-1947 को जारी है। जो कि तब भी अस्तित्व में है कि उक्त भूमि हस्तांतरण को अग्रिम भूमि हस्तांतरण को पुनः देखा जा सकता है कि उक्त सम्पत्ति के अधिग्रहण का भूमि हस्तांतरण को अग्रिम भूमि हस्तांतरण को सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है। जिसे उक्त अधिनियम की धारा-26(1) के अन्तर्गत स्पष्ट कि हस्तांतरण द्वारा सम्पत्ति के हस्तांतरण करने में सरकार को कोई अधिकार नहीं है।

2002
3-3-2002

श्रीमान एड. जे.के. खन्ना-5 में निर्दिष्ट सम्पत्ति सेवाकारियों को-1 के तब को हस्तांतरण 2 को 3 के द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त किया जाये कि कार्रवाई किया जाता होगा जारी नरुमा नारायण 15-7-1947 को जारी है। जो कि तब भी अस्तित्व में है कि उक्त भूमि हस्तांतरण को अग्रिम भूमि हस्तांतरण को सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है। जिसे उक्त अधिनियम की धारा-26(1) के अन्तर्गत स्पष्ट कि हस्तांतरण द्वारा सम्पत्ति के हस्तांतरण करने में सरकार को कोई अधिकार नहीं है।

Managing Director

2002/3/3
2002/3/3

2017

पुल को बेतार कर चुके हैं।

उत्तम नं-5 में वॉलेंट सम्पत्ति में अतिना भी इस को दखलअन्दा खान नर खेवकारोण
 वा उनके उत्तराधिकारोण को प्राप्त था वा अधिक्य में प्राप्त होता रहा वा नर पुल इस को दखलअन्दा
 खान के दिन से पुल के पुल स्वयं के कले हस्तान्तरित होकर छोदेदार पक्ष वा उनके उत्तराधिकारोण व
 प्राप्त हुआ वो-अधिक्य में प्राप्त होता रहेगा। छोदेदार उत्तम नं-5 में वॉलेंट सम्पत्ति पर खेवकारोण व
 अन्त खेवकारोण को छोदेदार को दखलअन्दा होकर वो रहकर बाक्यद अन्तु अ जिस प्रकार से वाहे अने
 उपरोक्त को उपरोक्त लिखे वो नाम अपनी कथा खेवकारोणके वितरितता विचार करदार के उपरोक्तारो
 विचारण में सारो-पक्षके सारो से नामो-लिख कर लेवेगे। उन अन्त लेख्य लिखो-पक्षके लिखो प्रकार वा कोई
 उरु को रररर न है न जो होता वो यदि खेवकारोण वा उनके उत्तराधिकारोण लिखि गलत खान
 के लिखो-पक्ष के दादा वा उरुदारो निरन्त ररररर को अन्त अन्तु के के नो, उनकी उरुदारो
 वा दादा को-अन्तको छोका लिख-पक्षके रररर को रर अन्तको छोका को लिखो-पक्षके उदात्त में अन्तको अर
 बाह्यके योग्य रही होगा।

खेवकारोण, लि, नरररर, के अन्तु के भी अन्तु ग-ररररर है और
 लिखित लिखो है कि उत्तम नं-5 में वॉलेंट सम्पत्ति हर प्रकार के अन्तुार सैली अन्तु को लन मार रररर
 रर वा रर अन्तु के पुनः पुल को ररर साररर वो अन्तु नर खेवकारोणके अन्तु नं-5 में वॉलेंट सम्पत्ति
 को लिखो-पक्षके सारु लिखो प्रकार वा कोई हस्तान्तरण रही लिखे के को रही लिखे है। वॉलेंट लिखो लिखो
 प्रकार वा अन्तुार सैली अन्तु को लन मार ररररर को रर ररररररर उत्तम नं-5 में वॉलेंट सम्पत्ति में अन्तु
 सार वा खेवकारोण वा उनके उत्तराधिकारोणके अन्तुार पक्ष वा उनके उत्तराधिकारो
 लन सम्पत्ति लिखे वा पुल पु-अन्तु के खेवकारोण अर दिखे वाहे लिखे लिखो लिखे के अन्तु इति छोदेदार पक्ष
 वा उनके उत्तराधिकारोणको हो नो रही अन्तु में छोदेदार पक्ष वा उनके उत्तराधिकारोण अने इति पुनः
 खेवकारोण वा को को लन मार अन्तु अन्तु पड़े जे वा लु लिखे अन्तु 1/- रर रररर रररररर के
 लिखो से खेवकारोण वा उनके उत्तराधिकारोण अन्तुार पक्षके सम्पत्ति में अन्तुको अरररररर अने पुल
 को बेतार कर लेवेगे। उन अन्तु खेवकारोण पक्ष को लिखो-पक्षके अन्तु को ररररररर है नरररर होगा।
 इन वाली उर वॉलेंट लिखो-पक्षके लिखो-पक्षके अन्तु अन्तु अन्तुको को प्रमितिपि में लिख दिवा कि
 समय पर अन्तु अने को प्राप्त रहे। [अन्तु]

अन्तुार अर हस्तार

gaming An:
 23/3/2002
 LALL-KOTHI
 BANAFUR
 PATNA-12

2017

खेवकारोण वा हस्तार
 1) अन्तुार अन्तु
 23.3.2002

2) अन्तुार अन्तु
 23/3/2002

3) अन्तुार अन्तु
 23/3/2002

2017

पिनेर अन्तु लिखे
 पिनेर अन्तु लिखे

Dist. IV—F. No. 180V.

वि० न० प्रेस, गया।

34535

श्री लकीर चक्र पुष्पा
 940190
 9306

0. 19 1/2 510 220 50 महेन्द्र प्रसाद साठवोसिकर
 पुष्पा कोषणी पुष्पा

2009. 2009		वर्ष				कुल	विवरण
नाम	मात्रा	तीन वर्षों के उत्पाद	19 वर्ष	24 वर्ष	19 वर्ष		
माल- (नकदी)	90.00						
पुष्पा (भाबली)	20.00						
मूल	20.00						
मूलपरकात	20.00						
मीजका	20.00						
	200.00						

2009. 2009		वर्ष				कुल	विवरण
नाम	मात्रा	तीन वर्षों के उत्पाद	19 वर्ष	24 वर्ष	19 वर्ष		
माल- (नकदी)	90.00						
पुष्पा (भाबली)	20.00						
मूल	20.00						
मूलपरकात	20.00						
मीजका	20.00						
	200.00						

- (1) माल (नकदी) — 200
- (2) नाम (भाबली) — 200
- (3) मूल (भाबली) — 200

29/9/2009

